प्रेस विज्ञप्ति

भारतीय मानक ब्यूरो के प्रमाणन चिन्ह के बढ़ते दुरूपयोग तथा अन्य प्रकार के बढ़ रहे भारतीय मानक ब्यूरो एक्ट, 1986 के उल्लंघन पर अंकुश लगाने के प्रयास पर कार्यान्वयन हेतु महानिदेशक भारतीय मानक ब्यूरो के दिशा निर्देश के अनुपालन हेतु 15 मई 2017 को लखनऊ शाखा कार्यालय द्वारा स्थानीय पुलिस की सहायता से

जनपद में मारे गए छापे के दौरान इकाई से आवश्यक साक्ष्य प्राप्त किए गये इन साक्ष्यों के आधार पर उत्पादक इकाई के विरूद्ध सक्षम–न्यायालय में दण्डात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी। एक्ट के अन्तर्गत अधिकतम रूपये 50000.00 का आर्थिक दण्ड तथा / अथवा एक वर्ष तक के कारागार का प्रावधान है। छापे के दौरान पकड़ी गई उत्पादन इकाई तथा सम्बंधित उत्पाद का विवरण निम्नानुसार है :–

इकाई का नाम – जय इण्टर प्राइजेज
वाराणसी

उत्पाद – पैकेज बन्द जल (पैकेज बन्द प्राकृतिक मिनिरल जल के अलावा)

ब्राण्ड – Bellojy, Awesome - Harvest ~~[illegible]~~ Dew

भारतीय मानक ब्यूरो, लखनऊ शाखा वैज्ञानिक सी, श्री पी एन यादव, के अनुसार शाखा कार्यालय में तैनात अधिकारियों ने पूरे उत्तरदायित्वों के साथ अपने कार्य को अंजाम दिया। साथ ही उन्होंने सूचित किया कि शाखा कार्यालय द्वारा समय – समय पर इस प्रकार की कार्यवाही आगे भी की जाती रहेगी, ताकि भारतीय मानक प्रमाणन चिन्ह पर जन साधारण का विश्वास बना रहे तथा आम उपभोक्ता के अधिकारों की सुचारू रूप से रक्षा की जा सके।

श्री यादव ने सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध किया है कि वे अपने अधिकारों के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक रहें तथा जहां कहीं भी उन्हें भारतीय मानक ब्यूरो के प्रमाणन चिन्ह के दुरूपयोग का सन्देह हो, उसकी सूचना तुरन्त भारतीय मानक ब्यूरो के पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में स्थित कार्यालय में देवें ताकि आवश्यक खोजबीन के पश्चात् ऐसी इकाईयों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सके।